UPRB010008792026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारीः-अमित पाल सिंह, एच०जे०एस०(यू०पी०-5691)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-157/2026

वीरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी०

15-06-2026:-

पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से आपत्ति 13 ख प्रार्थनापत्र 5 क अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रार्थनापत्र 5 क पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

प्रार्थनापत्र 5 क निगरानीकर्तागण की ओर से परिवाद संख्या-28179/2023, श्रीमती सुशीला बनाम वीरेन्द्र कुमार एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँकित 07-08-2025 के विरूद्ध निगरानी योजित करने में हुयी देरी को माफ किये जाने हेतु मय शपथपत्र 6 ख प्रस्तुत किया गया जिस पर विपक्षी संख्या-2 की ओर से आपत्ति 13 ख प्रस्तुत की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से इस तथ्य को इन्कार नही किया गया है कि विपक्षीगण को दिनाँक 29-01-2026 को उक्त पत्रावली से सम्बन्धित सम्मन प्राप्त हुआ जिसके उपरान्त विपक्षीगण और निगरानीकर्ता द्वारा दिनाँक 05-02-2026 को प्रस्तुत निगरानी धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ योजित की गयी। इसके अतिरिक्त जहां तक उक्त निगरानी प्रस्तुत किये जाने में देरी किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, उसकी पूर्ति हर्जे द्वारा की जा सकती है।

तद्नुसार निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5 क अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम दो हजार रूपये पर स्वीकार किया जाता है एवं परिवाद संख्या-28179/2023, श्रीमती सुशीला बनाम वीरेन्द्र में पारित तलबी आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने में हुयी देरी को माफ किया जाता है। हर्जा अदायगी के उपरान्त पत्रावली को निगरानी की पत्रावली में समयोजित कर अंगीकरण पर सुनवायी हेतु दिनाँक 17-07-2026 को पेश हो।

(अमित पाल सिंह)
यू०पी०-5691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
15-06-2026

Sarita

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.16 12:50:34 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court Raebareli